प्रेषक,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक),
मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्र संख्याः 23 /12–ज्येड॰ए॰सी॰/2023–2024, दिनाँकः 14 फरवरी, 2024

विषय :– **मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 709/2023, लाल जी कुमार बनाम प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल व अन्य में मा॰ अधिकरण द्वारा दिनाँकः 28–11–2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 709/2023, लाल जी कुमार बनाम प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल व अन्य में मा॰ अधिकरण द्वारा दिनाँकः 28–11–2023 को निम्न आदेश पारित किए गए हैं :–

- The applicant has stated in the application that Gethiya, a small revenue village having area approximately 5 to 7 hectares, is located on a hill top in Nainital, Uttarakhand and is surrounded on all its side by the reserved forest. Some unknown persons have dismantled the boundary pillars demarking the boundary lines between the forest land and revenue land and have made encroachments over the forest land including Khasra numbers 421, 423 and 424. Complaints were made to the concerned authorities but no action has been taken on the same.
- Notices along with copies of the application and documents attached therewith be issued to the respondents requiring them to file their reply/response to the allegations made in the application within two months through E-filing portal (not through E-mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).
- In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), Divisional Forest Officer (DFO) and District Magistrate (DM), Nainital and direct the same to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and concerned persons, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. UKPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
- Factual and Action taken Report may be submitted through UKPCB within two months through E-filing portal (not through E-mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).

क्रमशः.....2/

मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाँकः 28–11–2023 के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्याः 02/30–जी॰सी॰/2023–2024, दिनाँकः 22–12–2023 के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल, उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल एवम् क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी की संयुक्त समिति गठित करते हुए अनुपालन आख्या से अवगत कराए जाने के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल ने अपने पत्र संख्याः 312/आर॰ए॰/2024, दिनाँकः 03–02–2024 के द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी गई है। उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल की अध्यक्षता में सम्बन्धित स्थल की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्रकरण को सम्बन्धित जनपद स्तरीय स्थाई समिति को सन्दर्भित करने का सुझाव दिया गया।

उक्त के क्रम में संयुक्त सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र दिनाँकः 09–10–2023 (छायाप्रति संलग्न है) से अवगत कराया गया है कि वन विभाग एवम् राजस्व विभाग के मध्य भूमि के रिकॉर्ड एवम् नियमों आदि में मत भिन्नता के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण हेतु शासन स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उपरोक्त समिति की दिनाँकः 11–09–2023 को सम्पन्न बैठक के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त दिनाँकः 04–10–2023 (छायाप्रति संलग्न है) के प्रस्तर–4 में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिए गए हैं :–

"जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाये, जिसमें सम्बन्धित जनपद के डी॰एफ॰ओ॰ एवम् वन बन्दोबस्त अधिकारी सदस्य होंगे तथा कमेटी जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व को आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कमेटी में सम्मिलित कर सकेगी। यह एक स्थायी समिति होगी। जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि वे कमेटी के गठन के एक सप्ताह के अन्दर जनपद स्तर पर वन विभाग एवम् राजस्व विभाग के मध्य भूमि के विवाद सम्बन्धी समस्त प्रकरणों की सूची बना लेंगे तथा इस हेतु राजस्व एवम् वन विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से समेकित सूचना एकत्र कर ली जाए।"

इसके अतिरिक्त उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल ने पत्र संख्याः 312/आर॰ए॰/2024, दिनाँकः 03–02–2024 के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वन विभाग एवम् राजस्व विभाग की दिनाँकः 12–04–2024 को एक बैठक अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व), नैनीताल की अध्यक्षता में आहूत की गई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल द्वारा पत्र दिनाँकः 03–02–2024 से उपलब्ध करायी गई सम्बन्धित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या को मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। (कार्यवृत्त दिनाँकः 12–04–2024 की छायाप्रति संलग्न है)।

अतएव मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आख्या संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीया,

(वन्दना),
जिलाधिकारी, नैनीताल।

–: बैठक का कार्यवृत्त :–

मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन॰जी॰टी॰), नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन–पत्र संख्याः 709/2023, लाल जी कुमार बनाम प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल में पारित आदेश दिनाँकः 28–11–2023 के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व), नैनीताल की अध्यक्षता में दिनाँकः 12–02–2024 को आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

उपस्थिति :–

1. श्री फिंचा राम चौहान, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व), नैनीताल।
2. डॉ॰ चन्द्रशेखर जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
3. श्री प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल।
4. श्री ए॰एल॰ आर्या, वन क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्र, मनोरा (नैनीताल)।

सर्वप्रथम श्री प्रमोद कुमार, वन बन्दोबस्त अधिकारी/उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का परिचय करवाते हुए अवगत कराया गया कि मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन॰जी॰टी॰), नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन–पत्र संख्याः 709/2023, लाल जी कुमार बनाम प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल में दिनाँकः 28–11–2023 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु वन विभाग एवम् राजस्व विभाग के द्वारा सम्बन्धित स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसकी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्याः 312/आर॰ए॰/2024, दिनाँकः 03–02–2024 से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाई गई है।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम–गेठिया, पट्टी–भवाली के खसरा नम्बरः 397, 421, 423, 424 की खतौनी के अवलोकन से खसरा नम्बरः 397 रकबा 0.0307, 421 रकबा 0.135, 423 रकबा 0.129 कुल 03 खसरा नम्बरों का रकबा 0.571 हेक्टेयर वर्तमान समय में नॉन ज्येड॰ए॰ खतौनी खाता संख्याः 70 में सरकार उत्तराखण्ड श्रेणी–09(3)ड़ बंजर के रूप में दर्ज अभिलेख है जो मौके पर बंजर स्थिति में ही है जो कि वास्तविक स्वरूप में है जिन पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना नही पाया गया। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान वन विभाग के द्वारा भी खसरा नम्बरों: 397, 421, 423 को अपने क्षेत्र से बाहर होना बताया गया है, परन्तु खसरा संख्या 424 में वन विभाग के द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत होना बताया गया जबकि खसरा नम्बरः 424 रकबा 1.097 हेक्टेयर श्रेणी–01(क) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के अधिकार में हंसा दत्त आदि खातेदारों के नाम पर दर्ज है। हाल बन्दोबस्ती नक्शे के अनुसार खसरा नम्बरः 424 की सीमा वन विभाग की सीमा से मिलान करती है जिसमें वन विभाग के पीलर संख्याः 08 व 09 खसरा नम्बरः 424 के बाहर स्थित है।

इस सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग के नक्शे के अनुसार खसरा नम्बरः 424 मनोरा रेंज अन्तर्गत कुरिया कम्पार्ट संख्याः 05 के अन्तर्गत आ रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में भी उक्त भूमि के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग से कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। वन विभाग के द्वारा खसरा नम्बरः 424 के सीमा विवाद के सम्बन्ध में सर्वे हेतु दिनाँकः 24–01–2024 की तिथि नियत की गई थी जिसमें सर्वेयर के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राजस्व विभाग की खतौनी में दर्ज खसरा नम्बरः 424 वास्तविक रूप से आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है जो कि वन विभाग के कुरिया ब्लॉक संख्याः 05 के नाम गजट नोटिफिकेशन वर्ष, 1933 में अंकित है जिसकी पुष्टि उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या से भी हो रही है।

वर्ष, 1899–97 के बन्दोबस्त के दौरान से ही हाल खसरा संख्याः 424 (साबिक खसरा नम्बरः 172/916) का रकबा 1.097 हेक्टेयर ही है तथा वन विभाग का आंशिक क्षेत्र पूर्व से ही राजस्व नक्शे में आच्छादित चला आ रहा था जिसे हाल बन्दोबस्त 1955–56 के दौरान नक्शे से हटा दिया गया है। हाल बन्दोबस्त नक्शे में कोई भी पीलर राजस्व विभाग के नक्शे की सीमा के अन्तर्गत प्रदर्शित नहीं है।

राजस्व अभिलेखों (नक्शे) में खसरा नम्बरः 424 रकबा 1.097 हेक्टेयर भूमि दर्ज है तथा श्रेणी–01(क) में संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के अधिकार में हंसा दत्त आदि खातेदारों के नाम पर दर्ज है। उक्त क्षेत्र वन विभाग के नक्शे के अनुसार खसरा नम्बरः 424 मनोरा रेंज के अन्तर्गत कुरिया कम्पार्ट संख्याः 05 में अंकित है। उक्त भूमि मौके पर बंजर पायी गई है।

अतएव बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित स्थल की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या अभिलेखों सहित मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन॰जी॰टी॰), नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(फिंचा राम चौहान),
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व),
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्र संख्याः 02(05)/12–ज्येड॰ए॰सी॰/2023–2024, दिनाँकः 12 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
2. वन बन्दोबस्त अधिकारी/उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल।
3. प्रभारी अधिकारी, ज्येड॰ए॰सी॰, जिला कार्यालय, नैनीताल।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व),
नैनीताल।

I/159890/2023
I/159890/2023

ADM/OD ZAC

जिलाधिकारी
नैनीताल
कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल
संख्या 58 दिनांक 10/10/23

प्रेषक,

बी0एस0 बोरा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

09 OCT 2023

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः अक्टूबर, 2023**

विषयः– वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मध्य भूमि के रिकार्ड एवं नियमों आदि में मत भिन्नता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मध्य भूमि के रिकार्ड एवं नियमों आदि में मत भिन्नता के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण हेतु शासन स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की दिनांक 11.09.2023 को सम्पन्न बैठक के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 04.10.2023 **(प्रति संलग्न)** के प्रस्तर–4 में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:–

"जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाये, जिसमें सम्बन्धित जनपद के डी0एफ0ओ0 एवं वन बन्दोबस्त अधिकारी सदस्य होंगे तथा कमेटी जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व को आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कमेटी में सम्मिलित कर सकेगी। यह एक स्थायी समिति होगी। जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि वे कमेटी के गठन के एक सप्ताह के अन्दर जनपद स्तर पर वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मध्य भूमि के विवाद सम्बन्धी समस्त प्रकरणों की सूची बना लेंगे तथा इस हेतु राजस्व एवं वन विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से समेकित सूचना एकत्र कर ली जाय। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों तथा प्रभागीय वन अधिकारियों (डी0एफ0ओ0) के साथ शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आहूत कर ली जाय।"

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यवृत्त दिनांक 04.10.2023 के प्रस्तर–4 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
Signed by Bhupendra Singh Bora
Date: 09-10-2023 10:33:43
(बी0एस0 बोरा)
संयुक्त सचिव।

ADM/OC/ZAC

जिलाधिकारी
नैनीताल

संख्या 241 दिनांक 11/10/23

जिलाधिकारी नैनीताल प्राप्ति का दिनांक 04 OCT 2023

<u>वन एवं राजस्व विभाग के मध्य भूमि के रिकार्ड एवं नियमों आदि में मत भिन्नता के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 11.09.2023 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त</u>

<u>बैठक में उपस्थिति–</u>

1– श्री नरेन्द्र दत्त, प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।

2– श्री सचिन कुर्वे, सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– श्री अनूप मलिक, प्रमुख वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– श्रीमती कहकशां नसीम, अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

बैठक में सचिव राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मंत्रिमण्डल की 18 मई, 2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के कम में राजस्व विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–1020, दिनांक 26 मई, 2023 द्वारा वन एवं राजस्व विभाग के मध्य भूमि के रिकार्ड एवं नियमों आदि में मत भिन्नता के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। राजस्व अभिलेखों तथा वन विभाग के पास उपलब्ध नक्शों में भिन्नता के कारण भूमि आवंटन के प्रकरणों में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

2– बैठक में प्रमुख वन संरक्षक एवं Hoff, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग के पास जो भूमि के नक्शे उपलब्ध हैं, वह जिल्द बन्दोबस्त से पूर्व के हैं, परन्तु जिल्द बन्दोबस्त में उनके सापेक्ष प्रविष्टि नहीं की गयी है। अतः कतिपय प्रकरणों में वन विभाग के दावे सही होने पर भी, जिल्द बन्दोबस्त में रिकार्ड में भिन्नता होने के कारण विवाद की स्थिति है। पूरे राज्य में इस प्रकार के कई प्रकरण हैं, जिन्हें एक साथ समग्रता में देखे जाने के स्थान पर case by case देखा जाना होगा तथा इस हेतु जनपद स्तर पर कमेटी बनायी जानी चाहिए।

3– तदोपरान्त चर्चा में सचिव राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 19.02.2020 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में "वन" की परिभाषा निर्धारित की गयी है तथा जिसमें उल्लिखित है कि राज्य के किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में जिल्द बन्दोबस्ती के अनुसार खतौनी में अंकित श्रेणी–5(3)क(1), एवं 5(3)ख(1)(2) तथा NZA में श्रेणी–9(3)(क), श्रेणी 9(3)(ख) में वन के रूप में अभिलिखित क्षेत्र को ही वन माना जायेगा। स्पष्ट है कि उक्त कार्यालय आदेश में भी जिल्द बन्दोबस्त में अंकित श्रेणी को प्राथमिकता दी गयी है। अतः यदि जिल्द बन्दोबस्त में अंकित श्रेणी के सापेक्ष कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उक्त विशिष्ट खसरे हेतु धारा–48 के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत कर, मौके की स्थिति के अनुसार पुनः बन्दोबस्त कराया जा सकता है और यदि किन्हीं प्रकरणों में वन विभाग के पास पुष्ट अभिलेख हों, तो उन पर सम्यक् विचार किया जा सकता है।

4– बैठक में विचार–विमर्शोरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता एक कमेटी गठित की जाये, जिसमें सम्बन्धित जनपद के डी0एफ0ओ0 एवं वन बन्दोबस्त अधिकारी सदस्य होंगे तथा कमेटी जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व को आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कमेटी में सम्मिलित कर सकेगी। यह एक स्थायी समिति होगी। जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि वे कमेटी के गठन के एक सप्ताह के अन्दर जनपद स्तर पर वन एवं राजस्व विभाग के मध्य भूमि के विवाद सम्बन्धी समस्त प्रकरणों की सूची तैयार करेंगे तथा इस

हेतु राजस्व एवं वन विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से समेकित सूचना एकत्र कर ली जाय। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों तथा प्रभागीय वन अधिकारियों (डी0एफ0ओ0) के साथ शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आहूत कर ली जाय।

(कार्यवाही राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

Signed by Sachin
Sharadchandra Kurve
Date: 03-10-2023 11:41:57
(सचिन कुर्वे)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
राजस्व अनुभाग–2,
देहरादूनः दिनांक सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2– प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
Signed by Anand
Srivastava
Date: 04-10-2023 14:12:38
(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।